

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 403] No. 403] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 2004/वैशाख 3, 1926 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 2004/VAISAKHA 3, 1926

# सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2004

का. आ. 527(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

क्रम संख्या ४क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

''4क्.

2

3

गुजरात राज्य सरकार'';

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 (जिसके अंतर्गत सूरत के निकट जंक्शन से आरंभ होने वाला और हजीरा में समाप्त होने वाला राजमार्ग सं. 6 भी शामिल है). राजमार्ग सं. 15

वाला राजमार्ग सं. 6 भी शामिल है), राजमार्ग सं. 15 [समख्जाली से राधानपुर खंड को छोड़कर] और सं. 59

के गुजरात राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ए [183.500 कि.मी. से 362.160 कि.मी. को छोड़कर (गांधीधाम से समख्याली से बामनबोर)] सं. 8 सी, सं. 8 डी

और सं. 8 ई

[फा. सं. एन एच-14012/18/2003-पी एंड एम]

इन्द्र प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंत में का.आ. 464(अ) 26 अप्रैल, 2002 द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd April, 2004

S. O. 527(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the then Ministry of Surface Transport Number S. R. O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely:—

In the said notification, in Schedule:-

for serial number 4A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:—

1	2	. 3
"4A	So much of National Highways No. 6 (Including the Highway starting from its Junction near Surat on NH 6 and terminating at Hajira), No. 15 [excluding the Section Samakhyali to Radhanpur] and No. 59 as are situated within the State of Gujarat and National Highways No. 8A [excluding from .Km. 183.500 to Km. 362.160 (section from Gandhidham to Samakhyali to Bamanbore)], No. 8C, No. 8D and No. 8E.	State Government of Gujarat.";

[F. No. NH-14012/18/2003-P&M]

INDU PRAKASH, Director General Road Development and Spl. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.R.O. 1181, dated 4th April, 1957 and last amended vide S.O. No. 464(E) dated 26th April, 2002.